राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 171/2019

पाबुदान सिंह पुत्र सांवत सिंह जाति राजपूत निवासी भिटेरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादी

ब–ना–म

1. कर्ण सिंह पुत्र सांवत सिंह
2. प्रभू सिंह पुत्र सांवत सिंह
3. मंगल सिंह पुत्र सांवत सिंह जाति राजपूत निवासी भिटेरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

निर्णय दिनांक 16–10–2020

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07–02–2020 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित कर तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई कि वाके ग्राम भिटेरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0 स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 22 के खसरा नंबर 45 रकबा 0.04 है., ख.नं. 46 रकबा 2.74 है., ख.नं. 48 रकबा 1.90 है., ख.नं. 787/47 रकबा 0.20 है. कुल किता 4 कुल रकबा 4.88 है. में वादी के 1/4 हिस्से की भूमि का खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवायें। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2020/1669 दिनांक 08–10–2020 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–10–2020 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–10–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. 2' व 'ब') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–10–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. 2' व 'ब') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.28 15:03:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–10–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. 2' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08–10–2020 (प्रदर्श–'अ–1 लगा.2' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16–10–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/10/2020

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.28 15:03:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner